न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी—श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या — डिक्री 260 सन् 2018
पंजीयन दिनांक 20.12.2018

आशीष पिता कान्ति कुमार जाति पुरोहित निवासी प्रतापनगर चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलार्थी

विरूद्व

1. प्यारा पिता कालु जाति रेगर मृतक के बजाय—
   1. नारायण पिता प्यारा जाति रेगर निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   2. गीता पिता प्यारा पत्नि चम्पालाल जाति रेगर निवासी मण्डफिया हाल कानोड तहसील भीण्डर जिला उदयपुर।
2. भगवानलाल पिता माना जाति रेगर निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
3. लक्ष्मीचन्द पिता माना जाति रेगर निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4. शंकर गोद पुत्र खुमा जाति रेगर निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
5. उदयलाल पिता रामा जाति रेगर निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
6. बाबुलाल पिता घासीलाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया हाल रामबली मोहल्ला फल फुट की लॉरी इन्दौर तहसील व जिला इन्दौर म0प्र0
7. बृजमोहन पिता घासीलाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया हाल स्वतन्त्र रोड लाईन्स नीमच तहसील व जिला नीमच म0प्र0
8. ओमप्रकाश पिता घासीलाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया हाल स्वतन्त्र रोड लाईन्स नीमच तहसील व जिला नीमच म0प्र0
9. अशोक कुमार पिता मन्नालाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया हाल संजय पिता अशोक बंसल ढ—23 अचल कॉपोरेशन हाउसिंग सोसायटी शांति गांधी गार्डन मुम्बई महाराष्ट्र
10. तिलक कुमार पिता मन्नालाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
11. सत्यनाराण पिता मन्नालाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया हाल मुकाम नानीजी का बाग मंगल मूर्ति अर्पाटमेन्ट नाथद्वारा जिला राजसमन्द
12. वरदीचंद पिता पन्नालाल जाति महाजन मृतक के बजाय—
    1. उदयलाल पिता वरदीचंद जाति महाजन मृतक के बजाय—
       1. रमेश पिता उदय लाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
       2. प्रकाश पिता उदयलाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
       3. दीपक पिता उदयलाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

4. गीतादेवी पत्नि उदयलाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

2. बंसतीलाल पिता वरदीचंद जाति महाजन निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

3. श्यामलाल पिता वरदीचंद जाति महाजन मृतक के बजाय–
   1. नरेश पिता श्यामलाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
   2. उषा पत्नि श्यामलाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

14. पूरणमल पिता पन्नालाल जाति महाजन निवासी मण्डफिया तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

15. द्वारकादास पिता मदनलाल जाति महाजन मृतक के बजाय–
   1. संजय पिता द्वारकादास जाति महाजन निवासी मण्डफिया हाल अग्रवाल नगर पुराना इन्दौर म0प्र0.

16. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 122/2013 निर्णय एंव डिक्री दिनांक 11.07.2018

उपस्थित– 1. फारूख मोहम्मद –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. छोगालाल जाट– 2, 3, 4, 5
3. रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 6 से लगायत 13 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 16

निर्णय **दिनांक 10.03.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण ने रेस्पोडेन्ट सं. 6 से लगायत 15 व अपीलान्ट के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा मण्डफिया तहसील भदेसर की साबिक आराजी नम्बर 68, 70, 72, 74/2 कुल किता 4 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा आराजी नम्बर 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा के सम्बन्ध मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 6 से लगायत 15 के पूर्वजो की थी। जिन्होने उक्त आराजीयात दिनांक 24.03.1959 को स्वर्गीय कालु पिता वरदा रेगर निवासी मण्डफिया को विक्रय कर दी। व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण स्वर्गीय कालु के उत्तराधिकारी है। उक्त आराजीयात खरीद के वक्त से कालु व उसकी मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 से 4 जो माना खुम्मा रामा के वारिसान है के कब्जे काश्त मे चअी आ रही है। उक्त आराजीयात कालु रेगर के खरीदने के पश्चात् नामान्तकरण सं. 157 दिनांक 12.03.1965 से उक्त आराजीयात माना, खुम्मा, प्यारा, रामा पिता कालु रेगर के नाम खाते मे दर्ज हुई। संवत् 2020 से संवत् 2023 की जमाबन्दी मे इसका अंकन भी हो गया है किन्तु राजस्व कर्मचारियो की गलती व भूल से रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2024 से संवत् 2027 मे पुनः प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 13 के नाम अंकित हो गई। उक्त आराजीयात

रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण के स्वर्गीय पूर्वज कालुजी की खरीदशुदा होकर उक्त खरीद दिनांक 24.03.1959 से ही रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण के पूर्वज एवं वादीगण काबिज चले आ रहे है। और इंतकाल भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 व कालु के अन्य पुत्र माना, खुम्मा रामा के नाम निर्णित होकर जमाबन्दी मे अंकन हो चुका है। किन्तु कर्मचारियो ने अगली जमाबन्दी मे पुनः प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 15 के नाम अंकित कर दिया जो विधि विपरीत होकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण उक्त आराजीयात की खातेदारी घोषित कराने के अधिकारी है। राजस्व रेकार्ड मे अन्य प्रतिवादीगण का नाम अनावश्यक रूप से मूर्तहीन शिकमी के रूप मे अंकित कर रखा है इसे कोई वैधानिक शर्त नही है कि शिकमी खातेदार उपरोक्त आराजीयात मे कोई सम्बन्ध रखते हो। न ही उनका कोई हक हो। रेस्पोडेन्टगण 1 से 5 वादीगण विगत 54 वर्षो से लगातार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 15 किसी भी रूप मे विलोपित किया जाकर रेस्पोडेन्ट 1 से 5 वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे व रेस्पोडेन्टगण 6 से 15 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात से रेस्पोडेन्टगण सं. 1 से 5 वादीगण को बेदखल नही करे व न ही उक्त आराजीयात का हस्तान्तरण ही करे।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्टगण 1 से 5 वादीगण की ओर से अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे दिनांक 04.07.2013 को प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.07.2013 को ही दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर रेस्पोडेन्टगण 6 से 15 अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। व अपनी ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। दोराने वाद अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 11 को आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत पक्षकार कायम किया गया व उसकी मृत्यु होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 11 को कायम मुकाम किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 15 अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर गवाह मे शपथ पत्र लिये जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई व अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2018 को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए साबिक आराजी नम्बर 68, 70, 72, 74/2 किता 4 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा व आराजी नम्बर 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा से रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 15 का नाम हटाया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण के खातेदारी की घोषित की जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण के खातेदारी मे दर्ज की जाने की डिक्री जारी की गई।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.18 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 13 ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। इस न्यायालय मे अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 13 की ओर से अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण वादीगण एवं प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई।

अधीनस्थ विद्धवान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 की अपील म्याद बाहर होने से अपीलान्ट प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे वर्णित तथ्य स्वीकार योग्य होने से

अपीलान्ट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट प्रार्थी प्रतिवादी सं. 13 की ओर से प्रस्तुत अपील अन्दर म्याद ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2017 को प्रकरण मे पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 का आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन मे अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान राजस्व अभिलेख की खाता सं. 146 आराजी नम्बर 114 रकबा 0.68 हैक्टेयर जिसके साबिक आराजी नम्बर 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा है जो कि राजस्व ग्राम मण्डफिया के राजस्व रेकार्ड मे 1/2 हक हिस्सा अनुसार संजय महाजन के नाम दर्ज है। एवं अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि मे निहित 1/2 हिस्सा संजय महाजन से दिनांक 26.04.2016 को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख क्रय किया है। उक्त विक्रय पत्र की पालना मे राजस्व रेकार्ड मे जरिये नामान्तकरण सं. 231 दिनांक 10.05.2016 से दर्ज हो चुका है। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने लम्बित वादपत्र मे प्रतिवादी सं. 11 द्वारकादास की मृत्य दिनांक 06.12.2014 को होना उल्लेखित किया एवं उनकी मृत्यु उपरान्त वादग्रस्त कृषि आराजीयात जरिये नामन्तकरण सं. 211 दिनांक 12.02.2017 से द्वारकादास के बजाय संजय के नाम 1/2 हक हिस्से अनुसार राजस्व अभिलेख मे दर्ज हुआ है। योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.06.2017 को प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलार्थी को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रतिवादी सं. 13 के रूप मे पक्षकार संयोजित किये जाने का आदेश पारित किया है। दिनांक 10.07.2017 को जवाब व संशोधित टाईटल पेश करने हेतु नियत किया गया। प्रकरण मे योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टगण 1 से लगायत 5 द्वारा दिनांक 20.11.2017 को संशोधित टाईटल ही प्रस्तुत किया। व पत्रावली पुनः अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा वास्ते जवाब दिनांक 31.01.2018 को नियत की गई। नियत दिनांक 31.01.2018 को प्रतिवादी सं. 10 के विरूद्ध योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया व पुनः प्रकरण दिनांक 26.02.2018 को वास्ते जवाब हेतु नियत किया गया। तद्परान्त दिनांक 26.02.2018, 14.03.2018, 21.03.2018 व दिनांक 18.04.2018 को तामील हेतु पत्रावली नियत की गई। दिनांक 18.04.2018 को प्रकरण सुनवाई व जवाब हेतु आगामी पेशी दिनांक 28.06.2018 नियत करते हुए उसके उपरान्त दिनांक 22.05.2018 को न्याय आपके द्वार 2018 के निर्धारित कार्यक्रम अनुरूप कैम्प मुख्यालय मण्डफिया लोक अदालत मे सुनवाई हेतु दिनांक 22.06.2018 नियत किया गया। परन्तु इस पेशी परिवर्तन की सूचना अपीलान्ट को योग्य अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा नही दी गई। दिनांक 18.04.2018 को अपीलार्थी व उसके अधिवक्ता को न्यायालय मे न्याय आपके द्वार 2018 समाप्त होने के उपरान्त सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी तय कर जानकारी के किये जाने बाबत् बताया। तद्परान्त उक्त पत्रावली पीठासीन अधिकारी द्वारा निजी रूप से अपने पास रख ली गई। जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.18 की जानकारी नही है। व अपीलान्ट ने नवीन आराजी नम्बर 114 जिसके साबिक आराजी नम्बर 71 संजय महाजन से 1/2 हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। फिर भी अपीलान्ट को अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने सुनवाई का समुचित अवसर दिये बगैर अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 13 की क्रीत भूमि रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण के खातेदारी

की घोषित की है। जिसके विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4,5 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट वादीगण के पिता कालु के द्वारा दिनांक 24.03.1959 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। उक्त आराजीयात रेस्पोडेन्ट 1 से 5 वादीगण के पिता व दादा के द्वारा क्रय किये जाने से व कालु का स्वर्गवास हो जाने से उक्त कृषि आराजीयात साबिक नम्बरान से खरीदशुदा दिनांक 24.03.1959 के अनुसार रेस्पोडेन्टगण 1 से 5 वादीगण के नाम नामान्तकरण सं. 157 दिनांक 12.03.1965 से स्वीकृत हुआ व जमाबन्दी संवत् 2020 से 2023 की जमाबन्दी मे इन्द्राज भी हो चुका था। फिर भी रोटेशन जमाबन्दी संवत् 2024 से 2027 मे उक्त आराजीयात पुनः रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 12 के नाम दर्ज कर दी गई। जो रेस्पोडेन्ट वादीगण के कब्जे काश्त मे होकर रेस्पोडेन्ट 6 से 12 प्रतिवादीगण के नाम दर्ज चली आ रही है। जिससे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण ने रेस्पोडेन्ट सं. 6 से 12 प्रतिवादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक डिक्री का वादपत्र प्रस्तुत किया। उक्त वादपत्र को रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण ने पूर्णतया दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो से प्रमाणित करवाया जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है जो न्यायोचित होने से अपीलान्ट की अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 14 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को न्यायोचित होना बताते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 13 अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे पक्षकार नही था परन्तु प्रतिवादी सं. 13 ने साबिक आराजी नम्बर 71 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नम्बर 114 रकबा 0.68 हैक्टेयर मे से जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 26.04.2016 को 1/2 हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है जिसका नामान्तकरण सं. 231 दिनांक 10.05.2016 अपीलान्ट के नाम स्वीकृत हो चुका था। अपीलार्थी ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पक्षकार मुकदमा बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर अपीलान्ट को प्रतिवादी सं. 13 के रूप मे पक्षकार संयोजित किया गया है। ऐसी स्थिति मे दिनांक 10.07.2017 को जवाब व संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली विचाराधीन चल रही थी। उसके पश्चात् संशोधित टाईटल दिनांक 20.11.2017 को प्रस्तुत किया गया व पत्रावली वास्ते जवाबदावा नियत थी। इसी दरमियान पत्रावली को बिना जवाब का अवसर बन्द किये लोक अदालत मे नियत की गई। लोक अदालत से पुनः नियमित न्यायालय मे नियत की जाकर अपीलान्ट को अपीलान्ट का जवाबदावा बन्द किये बगैर प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण की साक्ष्य लिवाई जाकर अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बगैर रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 5 वादीगण का वादपत्र प्रमाणित होना मानते हुए डिक्री किया है। जो न्यायोचित एवं संहवनीय नही होने से अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 13 की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अपील प्राधिकारी

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 13 स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भदेसर प्रकरण संख्या 122/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 11.07.2018 निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट प्रतिवादी सं. 13 का जवाबदावा रेकार्ड पर लिया जाकर अपीलान्ट प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर दावा जवाबदावा के अनुसार तनकियात कायम की जाकर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 की पालना सुनिश्चित कर तनकीवार अजरसे नव निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ